न्यायालय आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.)

प्र.क्र. 133 ब–128 वर्ष 2023–24
ई. कोर्ट नं. 202401980100011

1. भोजराज पिता स्व. कुशना (नेता प्रतिपक्ष)
   निवासी–सड़क 1 पांच रास्ता सुपेला भिलाई
   तह. व जिला–दुर्ग (छ.ग.)
2. चन्दन यादव पिता स्व. शंकर लाल यादव
   निवासी–शारदा पारा, कैम्प–2 भिलाई
   तह. व जिला–दुर्ग (छ.ग.) .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई
   तह. व जिला–दुर्ग (छ.ग.)
2. मोहम्मद सलमान आ. मो सुभान
   पार्षद शारदा पारा, वार्ड क्र. 35
   भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ.ग.) .....उत्तरवादीगण

अपीलार्थी अधिवक्ता –	श्री अशोक शर्मा
उत्तरवादी क्र. 1 अधिवक्ता –	श्री ओ. पी. शर्मा
उत्तरवादी क्र. 2 अधिवक्ता –	श्री बी. पी. सिंह, श्रीमती वंदना सिंह

आदेश

(पारित दिनांक 06/05/2024)

यह प्रकरण आवेदक भोजराज सिन्हा (नेता प्रतिपक्ष–नगर पालिक निगम भिलाई) एवं अन्य के द्वारा नगर पालिक निगम, भिलाई के वार्ड क्र. 35 शारदा पारा के वार्ड पार्षद मो. सलमान आ. मो सुभान निवासी–शारदा पारा, भिलाई तह. व जिला–दुर्ग के विरूद्ध छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–19(1)(अ–1) के तहत पार्षद पद से बर्खास्त करने का आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

2. **प्रकरण का संक्षिप्त विवरण** :–उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलमान आ. मो सुभान निवासी–शारदा पारा, भिलाई तह. व जिला–दुर्ग जो वर्तमान में नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्र. 35 का निर्वाचित पार्षद है। वार्ड क्र. 35 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होने संबंधी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो फर्जी होने का आरोप लगाते हुए इस न्यायालय में उत्तरवादी क्र. 2 मोहम्मद सलमान को छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा–19 के तहत पार्षद पद से हटाये

क्रमशः.....2...

जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षों को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। उभयपक्षों को साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण किए जाने का अवसर दिया गया। तत्पश्चात् उभयपक्षों का अंतिम तर्क श्रवण किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 1015/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2024 के अनुसार–

"Taking into consideration the above-stated facts, the present petition at this stage is disposed of with the liberty to the petitioner to approach the Divisional Commissioner, Durg according to provisions of section 19(1)(a-1) of Act, 1956 along with relevant documents. If such as application is moved before the Divisional Commissioner, Durg it is expected that the said authority shall decide the application of the petitioner strictly in accordance with law after affording due opportunity of hearing to the petitioner as well as respondent No. 5 preferably within a period of three months from the date of receipt of application from petitioner."

3. **उत्तरवादी क्र. 1 का जवाब** :– उत्तरवादी क्र. 1 आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा अपने जवाब में बताया गया है कि निर्वाचित पार्षद को हटाये जाने का प्रावधान छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा–19(1)(अ) के तहत आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग के अधिकार एवं क्षेत्राधिकार का विषय है। निर्वाचित पार्षद को हटाये जाने के पूर्व छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा–19(1)(अ) के परंतुक का पालन किया जाना आवश्यक है। छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा–19(1)(अ) के प्रावधान की कंडिका क्र. 1 (अ–1) में प्रावधानित है "यदि वह यह पाया जाये कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है, जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था।" संभाग आयुक्त निर्वाचित पार्षद को हटा सकेगा, "किंतु प्रतिबंध यह है कि जब तक ऐसे पार्षद को कारण बताने का समुचित अवसर न दे दिया जाये कि उसे उसके पद से हटाये जाने की सिफारिश क्यों न की जाये या उसे क्यों न हटाया जाये तब तक न तो निगम द्वारा उसे हटाने की सिफारिश ठहराव पारित किया जाये और न संभाग आयुक्त द्वारा उसे हटाने की ऐसी कोई आज्ञा दी जाएगी।" अतः न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर जो भी आदेश पारित किया जावेगा उसका पालन उत्तरवादी क्र. 1 नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जावे।

क्रमशः.....3...

न्यायालय आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग (छ.ग.)

4. उत्तरवादी क्र. 2 का जवाब :–उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलमान पार्षद वार्ड क्र. 35 शारदा पारा, नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा अपने लिखित जवाब एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से बताया गया है कि उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलमान वार्ड क्र. 35 शारदा पारा, नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग के लिए पार्षद पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपना नामांकन फार्म भरा था और निर्वाचन अधिकारी ने उत्तरवादी क्र. 2 को उक्त पद निर्वाचित घोषित कर निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी किया था। उक्त निर्वाचन में उत्तरवादी क्र. 2 वर्ष 2021 में निर्वाचित हुआ और जिसका क्षेत्र शारदा पारा, भिलाई था जिसकी अधिसूचना 25.03.2021 को छ.ग. राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। शिकायतकर्ता–भोजराज सिन्हा एवं चंदन यादव (आवेदक गण) ने चुनाव के लगभग 03 वर्ष बाद आपके समक्ष मुझ पर फर्जी रूप से यह आरोप लगाया है कि मेरी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) जो प्रमाण पत्र जिसका रा. प्र. क्र. 363/ब–121/2015–16 दिनांक 15.06. 2016 को जो प्रस्तुत किया है वह फर्जी है क्योंकि उक्त क्रमांक पर किसी नोमिता देशमुख के नाम से उक्त प्रमाण पत्र जारी होना पाया गया है। शिकायत पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मेरी जाति कुंजड़ा नहीं है बल्कि केवल शिकायत इस बात की है कि रा. प्र. क्र. 363/ब–121/2015–16 पर जो प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी(रा.) दुर्ग ने जारी किया है वह मेरे नाम पर नहीं है बल्कि किसी अन्य के नाम से है और मात्र उस आधार पर मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रमाण– पत्र को फर्जी कहना गैर कानूनी, अवैधानिक, दूषित मानसिकता का परिचायक है क्योंकि ऑफिशियल रिकार्ड को संधारित करना अनावेदक क्र. 2 का कार्य नहीं है। मो. सलमान का जन्म 15.07.1992 को भिलाई में हुआ था, जिसके समर्थन में जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। मेरी शैक्षणिक प्रमाण पत्र छ.ग. का है उसके समर्थन में स्कूल दाखिल खारिज रजिस्टर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं अस्थायी जाति प्रमाण पत्र पेश है। मो. सलमान के पिता सुभान छ.ग. से मिर्जा गालिब सेक्टर–06 विद्यालय से पढ़ाई किए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा मेरे पिता के पक्ष में प्राथमिक प्रमाण पत्र जो 1977 को जारी किया गया है तथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट समर्थन में पेश है। पिता का आधार कार्ड व माध्यमिक मण्डल का नामांकन कार्ड प्रस्तुत है। पक्ष समर्थन में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 27 जून 2020 को इस आशय से प्रस्तुत है कि मेरा वार्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग में 22.03.2021 को घोषित किया गया है, इसके अलावा महत्वपूर्ण दस्तावेज छत्तीसगढ़ राज्य पत्र का गजट जो दिनांक 24. 12.2021 को प्रकाशित हुआ है, जिसमें अनुक्रमांक 35 पर निर्वाचित घोषित हुआ हूं एवं सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक है। 3 जून 2020 को छ. ग. राज्य पत्र में प्रकाशित के पेज नं. 61 पर अनुक्रमांक 87 में कुंजड़ा

क्रमशः.....4...

न्यायालय आयुक्त, दुर्ग संभाग

जो मुस्लिम वर्ग समूह में ओ.बी.सी. के रूप में वर्णित है, प्रस्तुत है। छ.ग. राज्य में कुंजड़ा एक अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाली जाति है। मेरी जाति छ.ग. राज्य पत्र के गजट में ओ. बी. सी. के रूप में नोटीफाईड है। इस संबंध में KUMARI MADHURI PATIL AND ANOTHER VS ADDL.COMMISSIONER TRIBAL DEVELOPMENT AND OTHERS CIVIL APPEAL NO. 5854 OF 1994; SMT.BABITA BALMIKI VS AMRIKA BAI & OTHERS 2017(1) C.G.L.J 603 (DB); VIDYADHAR AGHARIYA VS STATE OF CHHATTISGARH & OTHERS AIR 2015 (NOC 724) 273 WPC. NO. 275 OF 2033 अवलोकनीय है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे।

5. **आवेदकगण का तर्क** :—आवेदकगण द्वारा अपने मौखिक तर्क एवं आवेदन में मुख्य रूप से बताया गया है कि नगर पालिक निगम भिलाई के 70 वार्डों के पार्षद पद के निर्वाचन हेतु वार्डों का नियमानुसार आरक्षण किया गया था जिसके तहत शारदा पारा वार्ड क्र. 35 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डों का निर्वाचन वर्ष दिसंबर 2021 में शारदा पारा, वार्ड क्र. 35 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। नगर पालिक निगम, भिलाई में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड क्र. 35 में मो. सलमान आ. मो. सुभान फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पार्षद पद के लिए निर्वाचित हुए है जो कि वर्तमान में नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्र. 35 के पार्षद पद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चूंकि मो. सलमान आ. मो. सुभान फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड के लिए आरक्षित वार्ड से पार्षद पद पर निर्वाचित हुए है, जिसके कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का अधिकार का हनन हुआ है। इस कारण मो. सलमान आ. मो. सुभान को पार्षद पद से छ.ग.न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 19(1) (अ—1) के तहत बर्खास्त किया जाना आवश्यक है। नगर पालिक निगम भिलाई में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित शारदा पारा वार्ड क्र. 35 के नामांकन दिनांक 02.12.2021 के समय मो. सलमान आ. मो. सुभान के द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पर (अन्य पिछड़ा वर्ग) स्थायी रा. प्र. क्र. 363 ब—121 वर्ष 2015—16 दिनांक 15.06.2016 प्रस्तुत किया था जो कि फर्जी है। अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय से संबंध सूचना का अधिकार के तहत राजस्व दायरा पंजी 2015—16 भाग—1 प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार रा. प्र. क्र. 363/ब—121/2015—16 में मो. सलमान आ. मो. सुभान के नाम पर पत्र जारी होना नहीं पाया गया। उक्त क्रमांक में नोमिता देशमुख से प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मो. सलमान आ. मो. सुभान के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग

क्रमशः.....5...

न्यायालय आयुक्त, दुर्ग संभाग

के लिए आरक्षित वार्ड पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेकर पार्षद पर निर्वाचित हुए हैं। उक्त संबंध में आवेदक व भोजराज सिन्हा के द्वारा थाना प्रभारी थाना सुपेला के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर थाना सुपेला के द्वारा विवेचना के क्रम में एफ.आई.आर. क्र–103/2024 अपराध धारा–420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के तहत दर्ज किया गया है। इस संबंध में अभिषेक अगरिया विरूद्ध सुरेश अगरिया WPC No. 28917 of 2021; अमित चौधरी विरूद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. WPC No. 1040 of 2010; Fakira Kachke Vs The State of Madhya Pradesh M.Cr.C.No. 11684/2017 & Kaptan Singh Vs Union of India WPC No. 1452 of 2009 अवलोकनीय है, जिसमें अभिनिर्णित किय गया है कि सभी गैर असली दस्तावेजों को जाली दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, जाली दस्तावेजों को आईपीसी की धारा 463 और 464 में निर्दिष्ट शर्तो के तहत कवर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने जिस जाति प्रमाण पत्र पर भरोसा किया था, वह उनके कार्यालय से कभी जारी नहीं किया गया था, तो यह स्पष्ट है कि वास्तव में याचिकाकर्ता ने एक जाली दस्तावेज पर भरोसा किया था और इन परिस्थितियों में कानून माधुरी पाटिल (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि यह केवल यह तय करने के लिए लागू होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र असली है या नहीं। अतः उक्त आधार पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र होने से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित शारदा पारा वार्ड क्र. 35 के लिए निर्वाचित पार्षद मो. सलमान आ. मो. सुभान को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–19(1)(अ–1) के तहत बर्खास्त किया जावे।

6. **उत्तरवादी कं. 2 का तर्क** :– उत्तरवादी कं. 2 पार्षद मो. सलमान के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से बताया गया कि शिकायतकर्ता/आवेदकगण को उत्तरवादी कं.2 पार्षद मो. सलमान के निर्वाचन को चुनौती देने का कोई अधिकार नही है। मो. सलमान वार्ड कमांक 35 का निर्वाचित पार्षद है और निर्वाचन की प्रकिया को एक समय–सीमा में ही चुनौती दी जा सकती है न की तीन वर्ष के बाद। आवेदकगण द्वारा मो. सलमान के निर्वाचन एवं जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, इसलिए आवेदकगण के ऊपर सबूत का भार होने से यह साबित करें कि मो. सलमान की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में नही आते हैं। मो. सलमान के विरूद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए सुपेला थाना में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायलय द्वारा मो. सलमान को अग्रिम जमानत दिया गया है। मो. सलमान की जाति कुंजड़ा है,

क्रमशः.....6...

जो छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। मो. सलमान द्वारा निर्वाचन नामांकन के दौरान जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी किया गया है। जाति प्रमाण पत्र असली है या फर्जी इसकी जांच उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा ही किया जाना होता है। मो. सलमान के पिता छत्तीसगढ़ में स्थित मिर्ज़ा गालिब सेक्टर–6 भिलाई विद्यालय से पढ़ाई किये है और जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा प्राथमिक प्रमाण पत्र जो 1997 में जारी किया गया है, उसकें समर्थन में स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र पेश किया है। मात्र शिकायत इस बात की है कि राजस्व प्रकरण कमांक 363/ब–121/वर्ष 2015–16 पर जो प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग ने जो जारी किया है, वह मो. सलमान के नाम पर नही है, बल्कि किसी अन्य के नाम से है। ऑफियल रिकार्ड को संधारित करने का कार्य कार्यालय के सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों का होता है। शिकायतकर्तागण मो. सलमान के विरूद्ध चुनाव लड़े थे और पराजित होने पर 3 वर्ष के बाद इस प्रकार की शिकायत कर रहे है, जो दुर्भावना को दर्षित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने 1994 में सम्पूर्ण भारत वर्ष के कु. माधुरी पाटिल एवं अन्य विरूद्ध एडिशनल कमिश्नर ट्रायबल एवं अन्य के मामले में दिशा–निर्देश जारी किये है कि सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट की किसी जाति का जांच करने का अधिकार एक कास्ट स्कूटनी कमेटी हाईपावर को है, इसलिए इस प्रकरण को भी उच्च स्तरीय छानबीन समिति को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए। निर्वाचन की प्रकिया को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–441 के तहत सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है तथा इस न्यायालय को एक निर्वाचित पार्षद को पद से हटाए जाने के संबंध में प्रस्तुत शिकायत आवेदन पर कार्यवाही नही किया जाना चाहिए। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत शिकायत सारहीन होने खारिज किया जावे।

7. **विवेचना एवं निष्कर्ष** :– उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत जवाब, साक्ष्य, तर्कों व न्यायदृष्टांतों तथा आवेदन मय दस्तावेजों का अध्ययन कर उस पर मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक भोजराज सिन्हा एवं अन्य के द्वारा उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलमान जो कि नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्र. 35 का निर्वाचित पार्षद है, पर निर्वाचन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने बाबत् जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो फर्जी होने के कारण उनके विरूद्ध छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–19 के तहत पार्षद पद से हटाये जाने का आवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा रिट याचिका क्र. 380/2024 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2024 संलग्न कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

क्रमशः.....7...

न्यायालय आयुक्त, दुर्ग संभाग

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 1015/2024 (पक्षकार–चंदन यादव विरूद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य 04) में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2024 के अनुसार–

"Taking into consideration the above-stated facts, the present petition at this stage is disposed of with the liberty to the petitioner to approach the Divisional Commissioner, Durg according to provisions of section 19(1)(a-1) of Act, 1956 along with relevant documents. If such as application is moved before the Divisional Commissioner, Durg it is expected that the said authority shall decide the application of the petitioner strictly in accordance with law after affording due opportunity of hearing to the petitioner as well as respondent No. 5 preferably within a period of three months from the date of receipt of application from petitioner."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका कमांक 1015/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2024 के आधार पर याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन का समय–सीमा में निराकरण किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

उत्तरवादी क्रमांक 2 मो. सलमान पार्षद के द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 12.02.2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 1309/2024 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.03.2024 को निर्णय पारित किया गया है –

"Taking into consideration the submissions made by learned counsel for the petitioner, the present petition is disposed of with a direction to the Commissioner, Durg to consider all the documents which would be submitted by the petitioner, in an objective manner and take an appropriate decision strictly in accordance with law."

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका कमांक 1309/2024 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2024 के आधार पर उत्तरवादी कमांक 02 को दस्तावेज पेश करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया।

उत्तरवादी कमांक 02 मो. सलमान पार्षद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष रिव्यू पिटीशन नं. 59/2024 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा दिनांक 22.03.2024 को निर्णय पारित किया गया–

क्रमशः.....8...

"The case [W.P.(C) No. 1309/2024] was decided by this Court after discussing the entire facts and going the records available, and in light of the principles of law laid down through various judgements rendered by the Hon'ble Supreme Court and the High Courts; there is no error of law apparent on the record, therefore, the prayer sought for rehearing/recalling of order passed in W.P.(C) No. 1309/2024 by way of this review petition is not permissible, and in the opinion of this Court, no ground is made out for review. Accordingly, the instant review petition is hearby dismissed."

उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलमान पार्षद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के समक्ष REVP No. 78/2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2024 को निर्णय पारित किया गया –

"Taking into consideration the scope of review, in the opinion of this Court, no case is made out for review of the order dated 19.02.2024 passed in WPC No. 1015 of 2024. Further considering the fact that Section 19(1)(a-1) of the Act, 1956 states with "If it is found that", therefore, the review-petitioner would be at liberty to move appropriate application raising therein all these grounds available to him before the Divisional Commissioner, Durg along with the decision of the Hon'ble Supreme Court and this Court; and the authority concerned, in turn, shall decide such application strictly in accordance with law.

Mr. B. P. Singh has informed this Court that the matter is fixed for final arguments today before the authority concerned, therefore, the review-petitioner would be at liberty to file an application today and the appropriate order shall be passed today itself."

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के द्वारा पारित उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उत्तरवादी क्र. 2 के आवेदन पर उभयपक्षों को सुना जा कर दिनांक 25.04.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया कि–

"अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्र. 66/प्र–1/भू–अर्जन अधि./2024 दुर्ग, दिनांक 07.03.2024 के अनुसार वर्ष 2015–16 के दायरा पंजी का अवलोकन किया गया, जिसमें जाति प्रमाण–पत्र को दर्ज किया जाता है। उक्त दायरा पंजी में स0प्र0क्र0 363/ब–121/सन् 2015–16

क्रमशः.....9...

न्यायालय आयुक्त, दुर्ग संभाग

दिनांक 15.06.2016 में मो. सलमान पिता मो. सुभान नाम दर्ज नही है बल्कि स0प्र0क्र0 363/ब–121/सन् 2015–16 दिनांक 12.11.2016 में नोमिता देशमुख पिता युवराज देशमुख के नाम दर्ज है, ऐसी स्थिति में स्वयं के जाति को प्रमाणित करने का भार उत्तरवादी क्र 2 पार्षद मो. सलमान के ऊपर है। इससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा–4 के तहत जाति प्रमाण–पत्र जारी नही किया गया है, ऐसी स्थिति में जाति की जांच हेतु उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के पास प्रकरण को भेजे जाने की आवश्यकता नही है।

उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलमान पार्षद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 2378/2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2024 को निर्णय पारित किया गया –

"(1) Learned counsel appearing for the petitioner would submit that the present petition may be disposed of reserving liberty to raise all grounds available to the petitioner before the Commissioner cooncerned without bring prejuidice with observation made by this court in earlier ground of litigation.

(2) No objection from other side.

(3) Permission Granted.

(4) The present petition is disposed of reserving liberty to raise all grounds available to the petitioner before the Commissioner concerned.

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा उक्त आदेश के अनुकम में उभयपक्षों का दिनांक 01.05.2024 को अंतिम तर्क श्रवण किया गया।

प्रकरण में उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलमान पार्षद के द्वारा स्वयं को कुंजड़ा जाति का होना तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के अंतर्गत होना अपने जवाब में लेख किया गया है परंतु उनके प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रकरण क्रमांक 363 ब–121 सन् 2015–16 लेख है तथा संबंधित वर्ष के दायरा पंजी में उक्त प्रकरण क्रमांक में अन्य व्यक्ति नोमिता देशमुख पिता युवराज देशमुख के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

क्रमशः.....10...

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के अध्याय–एक प्रारंभिक–2. परिभाषाएँ (ज) के अनुसार–

"अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि" से अभिप्रेत है, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 तथा नियम–3 (ग) के अनुसार–ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसके पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के अध्याय–एक प्रारंभिक–2. परिभाषाएँ (ज) के अनुसार–

छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो अथवा किया जाये।

छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा–14 में प्रावधान है कि–

सबूत का भार– "जहाँ कोई आवेदन, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु, इस अधिनियम की धारा–3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को किया गया है या इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी, जिला स्तरीय प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति तथा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा की गई किसी जाँच में या अपराध के किसी विचारण में, यह साबित करने का भार कि वह, यथास्थिति, ऐसी जाति, जनजाति या वर्ग से संबंधित सामाजिक प्रास्थिति का है, ऐसे आवेदक पर होगा।"

उक्त प्रावधान अनुसार स्वयं को उस आरक्षित वर्ग से होने के संबंध में प्रामाणित करने हेतु सबूत का भार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड से निर्वाचित पार्षद मो. सलमान पर है। प्रकरण में उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान के द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज होने के कारण उस पर सुपेला थाना में एफआईआर कमांक 0103/वर्ष 2024 दिनांक 04.02.2024 दर्ज है।

प्रकरण में इस न्यायालय से जाति प्रमाण के संबंध में जांच प्रतिवेदन मंगाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक 66/प्र–1

क्रमशः.....11...

/भू–अर्जन अधि./2024 दुर्ग, दिनांक 07.03.2024 को प्रेषित किया है। जिसके अनुसार –

"कार्यालय के सन् 2015–16 के दायरा पंजी का अवलोकन किया गया जिसमें जाति प्रमाण पत्र को दर्ज किया जाता है, उक्त दायरा पंजी स.प्र.कं. 363/ब–121/सन् 2015–2016 दिनांक 15.06.2016 में मोहम्मद सलमान पिता मोहम्मद सुभान नाम दर्ज नही है। भाग–1 सन् 2015–16 दिनांक 07.10.2016 से प्रारंभ हो कर दिनांक 25.02.2017 तक हुआ है दायरा पंजी में स.प्र.क. 01 से 2965 तक दर्ज है। जिसमें स.प्र.कं. 363/ब–121/सन् 2015–16 दिनांक 12.11.2016 में नोमिता देशमुख पिता जिसमें युवराज देशमुख के नाम दर्ज है। भाग–2 सन् 2015–16 दिनांक 15.06.2016 दायरा पंजी में स.प्र.क. 2545 से 2557 तक दर्ज है।"

इससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा–4 के तहत जाति प्रमाण–पत्र जारी नही किया गया है। ऐसी स्थिति में स्वयं के जाति को प्रमाणित करने का भार उत्तरवादी क्र 2 पार्षद मो. सलमान के ऊपर है।

उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा न्यायदृष्टांत 1994(6) सुप्रीम कोर्ट 241 पक्षकार–कुमारी माधुरी पाटिल विरूद्ध अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास वगै0 तथा 2017(1) सी.जे.एल.जे. 603(डीबी) पक्षकार–श्रीमती बबीता बालमीकि विरूद्ध अमरिका बाई वगै0 से संबंधित न्यायदृष्टांत प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि आवेदक/शिकायतकर्ता को उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान के विरूद्ध निर्वाचन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं रहा है तथा मो. सलमान के जाति के संबंध में विवाद होने के स्थिति में जाति की सत्यापन हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समिति के पास प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा–6(1) के प्रावधान अनुसार–

जिला स्तरीय प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति तथा उसकी शक्यिॉं–(1) "राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार, धारा–4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के सत्यापन के लिए, एक या अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाली एक जिला स्तरीय प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति ऐसे स्वरूप में होगी, जैसा विहित किया जाए।" इस प्रकरण में जाति प्रमाण पत्र सक्षम

क्रमशः.....12...

प्राधिकारी द्वारा जारी ही नही किया गया है। अतः उसे सत्यापन समिति को भेजने की आवश्यकता नही है। उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा रिट पिटिशन नं. 28917/2021 पक्षकार–अभिषेक अगरिया विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05 अक्टूबर 2023 के कंडिका 19 के अनुसार–

"इस प्रकार सभी गैर–असली दस्तावेजों को जाली दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, जाली दस्तावेजों को आईपीसी की धारा 463 और 464 में निर्दिष्ट शर्तो के तहत कवर किया जाना चाहिए। एक बार, एसडीओ, शोहागपुर, जिला शहडोल ने एक निष्कर्ष दिया था कि याचिकाकर्ता ने जिस जाति प्रमाण पत्र पर भरोसा किया था, वह उनके कार्यालय से कभी जारी नहीं किया गया था, तो यह स्पष्ट है कि वास्तव में याचिकाकर्ता ने एक जाली दस्तावेज पर भरोसा किया था और इन परिस्थितियों में कानून माधुरी पाटिल (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि यह केवल यह तय करने के लिए लागू होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र असली है या नहीं। इन परिस्थितियों में, एसडीओ, शोहागपुर, जिला शहडोल को कलेक्टर शहडोल को एक रिपोर्ट देने का अधिकार था कि याचिकाकर्ता द्वारा जिस जाति प्रमाण पत्र पर भरोसा किया गया है वह जाली दस्तावेज है।"

उक्त न्याय दृष्टांत के अनुसार इस प्रकरण में भी उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान ने जिस जाति प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है, वह संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(रा.) दुर्ग के कार्यालय से कभी जारी नहीं किया गया तो यह स्पष्ट है कि वास्तव में उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद ने एक जाली दस्तावेज पर भरोसा किया था और इन परिस्थितियों में कानून माधुरी पाटिल (सुप्रीम कोर्ट) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित जाति सत्यापन हेतु समिति को भेजने संबंधी निर्देश लागू नहीं होंगे क्योंकि यह केवल यह तय करने के लिए लागू होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र असली है या नहीं।

प्रकरण में उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किया गया है, जिसमें एक अस्थायी जाति प्रमाण पत्र है, जो दिनांक 08.08.2008 में जारी किया जाना अंकित है, जबकि नियमानुसार 6 माह के भीतर अस्थायी जाति प्रमाण पत्र को स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने की प्रक्रिया की जाती है परंतु उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलामन के द्वारा वर्ष 2016 में स्थायी जाति प्रमाण प्राप्त किया जाना बताया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग द्वारा कार्यालय से जारी नही होना प्रतिवेदित किया है। इसी तरह

क्रमशः.....13...

उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलामन के द्वारा अपने पिता सुबहान का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र में किस तारीख से किस तारीख तक स्कूल में अध्ययनरत रहा है, इस संबंध में कॉलम निरंक है और उक्त प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक 08.01.2024 अंकित है, इसके अलावा उक्त प्रमाण पत्र में जाति का कॉलम नहीं है तथा अलग से जाति– कुंजड़ा होने का लेख है, जो प्रथम दृष्ट्या ही संदेहास्पद प्रतीत होता है।

प्रकरण में उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद के द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया कि नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा–441 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दिए जाने से निर्वाचित पार्षद को हटाये जाने संबंधी कार्यवाही किया जाना विधि विरूद्ध है। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा–19(1)(अ–1) के तहत पार्षद को हटाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा रिट याचिका क्र. 1015/2024 में दिनांक 19.02.2024 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय को छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा–19(1)(अ–1) के तहत प्रकरण का निराकरण तीन माह के भीतर किए जाने का निर्देश दिया गया है।

उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार सदैव अभियोजन पर होना बताया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा–19(1)(अ–1) के तहत आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था, से संबंधित है और छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा–14 के प्रावधान अनुसार सबूत का भार किसी जांच में या अपराध के किसी विचारण में, यह साबित करने का भार कि वह यथास्थिति, ऐसी जाति, जनजाति या वर्ग से संबंधित सामाजिक प्रास्थिति का है, ऐसे आवेदक पर होगा। इस प्रकरण में भी उत्तरवादी क्र. 2 मो. सलमान द्वारा स्वयं को अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना बताया गया है, इसलिए सबूत का भार उनके ऊपर है। उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान द्वारा जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वह सक्षम कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जाना अनुविभागीय अधिकारी(रा.) दुर्ग ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है। उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान के द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व ऐसा कोई दस्तावेज जो उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु सक्षम कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हो, वह भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है,

क्रमशः.....14...

न्यायालय आयुक्त, दुर्ग संभाग

स्थायी जाति प्रमाण प्राप्त करने के पूर्व आवेदन मय संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। किसी भी अभ्यर्थी को उस आरक्षित प्रवर्ग का होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही उसे प्रमाणित करता है। प्रकरण में उत्तरवादी क्र. 2 पार्षद मो. सलमान के द्वारा जो अन्य पिछड़ा वर्ग का होने संबंधी जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रथम दृष्ट्या फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है। इस प्रकार प्रकरण में उत्तरवादी कं. 2 पार्षद मो. सलमान के द्वारा यह साबित करने में असफल रहा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवर्ग का है और न ही उसके पास सक्षम अधिकारी के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–19 में प्रावधान है कि–

धारा–19(1)–संभागीय आयुक्त किसी भी निर्वाचित किए गए पार्षद को किसी भी समय हटा सकेगा –

(अ) यदि पार्षद के रूप में उसका बना रहना (संभागीय आयुक्त) के मत में सार्वजनिक या निगम के हित में वांछनीय न हो,

(अ–1) यदि यह पाये जाये कि उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि छ.ग. नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा–19(1)(अ–1) के तहत उत्तरवादी पार्षद मो. सलमान उस आरक्षित प्रवर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग) का नहीं है, जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था, जिसके कारण उन्हें धारा–19(1) के तहत पार्षद पद से हटाये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार छ.ग. नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा–19(1)(अ–1) के तहत मो. सलमान पार्षद वार्ड क्र. 35, शारदा पारा वार्ड, नगर पालिक निगम भिलाई को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित प्रवर्ग का नहीं होने से उन्हें धारा–19(1) के तहत पार्षद पद से हटाया (Remove) जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 06/05/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से पारित एवं उद्घोषित।

6/5/24

(सत्य नारायण राठौर)
आयुक्त,
दुर्ग संभाग, दुर्ग